राजस्थान पंचायती राज कानून
1994

अधिनियम संख्या 13, 1994 का सरल और संक्षिप्त रूप

तरुण भारत संघ
द्वारा
प्रसारित

राजस्थान पंचायती राज कानून, 1994

अध्याय एक

इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है। इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान में होगा।

परिभाषायें :

इस अधिनियम में, 'पिछड़े वर्ग' से इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें;

'खण्ड' और 'पंचायत सर्किल' से क्रमशः ऐसे स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत होंगे जिन पर कोई पंचायत समिति या, यथास्थिति, कोई पंचायत अपनी अधिकारिकता का प्रयोग करेगी;

'अध्यक्ष' से इस अधिनियम के अधीन गठित किसी जिला परिषद् या पंचायत समिति की किसी स्थायी समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

'अध्यक्ष' और 'उपाध्यक्ष' से क्रमशः किसी पंचायत के मामले में, सरपंच और उप सरपंच, किसी पंचायत समिति के मामले में प्रधान और उप-प्रधान और किसी जिला परिषद् के मामले में प्रमुख और उप-प्रमुख अभिप्रेत होगा;

'आयुक्त' से खण्ड आयुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) के अधीन किसी आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया जाये;

'कलक्टर' से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और अपर कलक्टर उसके अन्तर्गत आता है;

'सक्षम प्राधिकारी' से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के संबंध में और ऐसी पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में, किसी सक्षम प्राधिकारी के ऐसे कृत्य करने और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये;

'निर्वाचन क्षेत्र' के अन्तर्गत कोई वार्ड आता है;

'निदेशक, पंचायती राज और ग्रामीण विकास' से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

'जिला' से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) के अधीन गठित कोई जिला अभिप्रेत है;

'वित्त आयोग' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है;

'सरकार' या 'राज्य सरकार' से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

'सदस्य' से किसी पंचायती राज संस्था का कोई सदस्य अभिप्रेत है और कोई सरपंच उसके अन्तर्गत आता है;

'पंचायतों का प्रभारी अधिकारी' से पंचायतों के प्रभारी अधिकारी के रूप में धारा 99 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी अभिप्रेत है;

'पंच' से किसी पंचायत का सरपंच से भिन्न कोई सदस्य अभिप्रेत है;

'पंचायत क्षेत्र' या 'पंचायत सर्किल' से किसी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

'पंचायती राज संस्था' से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के अधीन, किसी गांव के या किसी खण्ड या जिले के स्तर पर स्थापित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है;

'जनसंख्या' से, जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त हो, ऐसे स्थानीय क्षेत्र की वह जनसंख्या अभिप्रेत है जो उस अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किये जा चुके हैं;

'विहित' से इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विहित अभिप्रेत है;

'लोक भूमि' या 'सामान्य भूमि' से ऐसी भूमि अभिप्रेत है, जो किसी भी व्यष्टि के अनन्य कब्जे और उपयोग में नहीं है किन्तु सामान्यतः किसी स्थानीय क्षेत्र के निवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाती है;

'स्थायी समिति' से इस अधिनियम के अधीन किसी जिला परिषद् या किसी पंचायत समिति द्वारा गठित कोई स्थायी समिति अभिप्रेत है;

'राज्य निर्वाचन आयोग' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट आयोग अभिप्रेत है; और

'गांव से राज्यपाल के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी गांव के रूप में, लोक अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कोई गांव अभिप्रेत है और इस रूप में विनिर्दिष्ट गांवों का कोई समूह उसके अन्तर्गत आता है।

अध्याय दो

ग्राम सभा

ग्रामसभा और उसकी बैठकें– प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होंगे।

प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें होंगी, पहली वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में और दूसरी अन्तिम त्रिमास में :

परन्तु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से कोई अध्यपेक्षा किये जाने पर या, यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ग्राम सभा की बैठक ऐसी अध्यपेक्षा या अपेक्षा के तीस दिन के भीतर-भीतर की जायेगी।

वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की जाने वाली बैठक में पंचायत ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित रखेगी–

(क) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन पर की रिपोर्ट;

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम; और

(घ) पिछली संपरीक्षा रिपोर्ट और उसके लिए दिये गये उत्तर।

वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रिमास में आयोजित बैठक में पंचायत ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित रखेगी–

(क) वर्ष के दौरान उपगत व्यय का विवरण;

(ख) वर्ष में लिये जाने वाले भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम;

(ग) वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की गई बैठक में प्रस्तावित क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये किन्हीं भी परिवर्तनों से संबंधित प्रस्ताव; और

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार किया गया पंचायत का बजट।

उपर्युक्त दोनों बैठकों तथा ग्राम सभा की किसी भी अन्य बैठक में भी, ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी रखे जाने की अपेक्षा करे, रखा जायेगा।

ग्राम सभा इस धारा के अधीन उसके समक्ष रखे गये विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी और पंचायत, ग्राम सभा द्वारा किये गये सुझावों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या ऐसे विकास अधिकारी के द्वारा नामनिर्देशित कोई प्रसार अधिकारी ग्राम सभा की सभी बैठकों में उपस्थित

होगा। वह ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों का पंचायत के सचिव द्वारा सही-सही अभिलेखन किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार अभिलिखित कार्यवृत्तों की एक-एक प्रति विहित रीति से, इस प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारियों को भेजी जायेगी।

गणपूर्ति– ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से होगी :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए किसी भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी :

पीठासीन अधिकारी– ग्राम सभा की बैठक पंचायत के सरपंच के द्वारा या, उसकी अनुपस्थिति में, ऐसी पंचायत के उप-सरपंच के द्वारा बुलायी जायेगी। सरपंच और उप सरपंच दोनों ही के अनुपस्थित होने की दिशा में, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किये गये ग्राम सभा के किसी सदस्य के द्वारा की जायेगी।

संकल्प– ग्राम सभा को इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना होगा।

कृत्य– ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्य करेगी :–

(क) पंचायत क्षेत्र से संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करना;

(ख) ऐसे क्षेत्र से संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान; परन्तु यदि ग्राम सभा किसी युक्ति-युक्त समय के भीतर हिताधिकारियों को पहचानने में विफल रहे तो पंचायत हिताधिकारियों की पहचान करेगी;

(ग) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना;

(घ) ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना;

(ङ) ऐसे क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों में एकता और सौहार्द बढ़ाना;

(च) किसी भी क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय-विशेष के बारे में पंचायत के सरपंच और सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किये जायें।

सतर्कता समिति– ग्राम सभा, पंचायत के कार्यों, स्कीमों और अन्य क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण करने के लिए और अपनी बैठक में उनसे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक या उससे अधिक सतर्कता समितियां भी गठित कर सकेगी जिनमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो पंचायत के सदस्य नहीं हैं।

अध्याय तीन

पंचायती राज संस्थाएं

पंचायत की स्थापना– राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित नहीं किये गये किसी गांव या गांवों के किसी समूह को समाविष्ट करने वाले किसी भी स्थानीय क्षेत्र को पंचायत सर्किल घोषित कर सकेगी और इस रूप में घोषित किये गये प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक पंचायत होगी।

प्रत्येक पंचायत, राजपत्र में अधिसूचित नाम से, एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा, इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्हीं भी निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उसे क्रय, दान द्वारा या अन्यया, स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और अन्तरित करने तथा कोई भी संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जायेगा।

राज्य सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत के या पंचायत सर्किल के निवासियों के निवेदन पर, विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी किसी भी पंचायत का नाम परिवर्तित कर सकेगी।

पंचायत समिति की स्थापना– राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक ही जिले के भीतर के किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खण्ड के रूप में घोषित कर सकेगी और इस रूप में घोषित प्रत्येक खण्ड के लिए एक पंचायत समिति होगी जो, इस अधिनियम में यथा-उपबंधित के सिवाय, खण्ड के ऐसे प्रभागों को अपवर्जित करते हुए, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित किये गये हैं, सम्पूर्ण खण्ड पर अधिकारिता रखेगी :

परन्तु कोई पंचायत समिति, पंचायत समिति के अपवर्जित प्रभाग के भीतर समाविष्ट किसी भी क्षेत्र में अपना कार्यालय रख सकेगी।

प्रत्येक पंचायत समिति राजपत्र में अधिसूचित नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्हीं भी निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उसे क्रय, दान द्वारा या अन्यथा, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और अन्तरित करने तथा कोई भी

संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जायेगा।

राज्य सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत समिति के या पंचायत समिति के खण्ड के भीतर के किसी भी क्षेत्र के निवासियों के निवेदन पर, विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी समय और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी ऐसी पंचायत समिति का नाम परिवर्तित कर सकेगी।

जिला परिषद् की स्थापना– प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद् होगी जो, इस अधिनियम में यथा-उपबंधित के सिवाय, जिले के ऐसे प्रभागों को अपवर्जित करते हुए, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित किये गये हैं, सम्पूर्ण जिले पर अधिकारिता रखेगी :

परन्तु कोई जिला परिषद् जिले के अपवर्जित प्रभाग के भीतर समाविष्ट किसी भी क्षेत्र में अपना कार्यालय रख सकेगी।

प्रत्येक जिला परिषद् उस जिले के नाम से होगी जिसके लिए वह गठित की गयी है और एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा, इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्हीं भी निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उसे क्रय, दान द्वारा या अन्यथा, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और अंतरित करने और कोई भी संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जायेगा।

पंचायत की संरचना– किसी पंचायत में –

(क) एक सरपंच और

(ख) इतने वार्डों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित पंच, जो उपधारा (2) के अधीन अवधारित किये जायें, होंगे।

राज्य सरकार, ऐसे नियमों के जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए वार्डों की संख्या अवधारित करेगी, और ऐसा होने पर पंचायत सर्किल को एकल सदस्य वार्डों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण पंचायत सर्किल में समान हो :

परन्तु तीन हजार से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में नौ वार्ड होंगे और किसी ऐसे पंचायत सर्किल के मामले में जिसकी जनसंख्या तीन हजार से अधिक है, तीन हजार से अधिक के प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए, नौ की उक्त संख्या में दो की बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी।

पंचायत समिति की संरचना— किसी पंचायत समिति में निम्नलिखित होंगे :

(क) इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य, जो उपधारा (2) के अधीन अवधारित किये जायें; और

(ख) ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र सम्पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है :

परन्तु खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सदस्यों की प्रधान या उप-प्रधान के निर्वाचन और हटाये जाने के सिवाय, पंचायत समिति की सभी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र में समान हो :

परन्तु एक लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत समिति क्षेत्र में पन्द्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र के मामले में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, एक लाख से अधिक के प्रत्येक पन्द्रह हजार या उसके भाग के लिए, पन्द्रह की उक्त संख्या में दो की बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी।

जिला परिषद् की संरचना— किसी जिला परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(क) इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य, जो उप-धारा (2) के अधीन अवधारित किये जायें :

(ख) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के और राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, जिनमें जिला परिषद् क्षेत्र सम्पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है; और

(ग) जिला परिषद् क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत राज्य सभा के सभी सदस्य :

परन्तु खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों को, प्रमुख या उप-प्रमुख के निर्वाचन और हटाये जाने के सिवाय, जिला परिषद् की सभी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

राज्य सरकार, ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त विरचित किये जायें, अनुसार, प्रत्येक जिला परिषद् क्षेत्र के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण जिला परिषद् क्षेत्र में समान हो :

परन्तु चार लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद् क्षेत्र में सत्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद् क्षेत्र के मामले में जिसकी जनसंख्या चार लाख से अधिक है, चार लाख से अधिक के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए सत्रह की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।

स्थानों का आरक्षण– (1) प्रत्येक पंचायत राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान–

(क) अनुसूचित जातियों;

(ख) अनुसूचित जनजातियों; और

(ग) पिछड़े वर्गों –

के लिए आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का उस पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम वही अनुपात होगा जो उस पंचायती राज संस्था क्षेत्र में की ऐसी जातियों, जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे स्थान संबंधित पंचायती राज संस्था में विभिन्न वार्डों या, यथास्थिति विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवण्टित किये जा सकेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या, यथास्थिति, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(3) प्रत्येक पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून स्थान (जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे और ऐसे स्थान संबंधित पंचायती राज संस्था में विभिन्न वार्डों या, यथास्थिति, निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से आवण्टित किये जायेंगे, जो विहित की जाये।

अध्यक्षों के पदों का आरक्षण– सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किये जायेंगे, जो विहित की जाये :

परन्तु राज्य में ऐसी जातियों, जनजातियों और वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित ऐसे पदों में से प्रत्येक की संख्या का राज्य के ऐसे पदों में से प्रत्येक की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम वही अनुपात होगा जो राज्य में ऐसी जातियों, जनजातियों और वर्गों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है :

परन्तु यह भी कि ऐसे पदों में से प्रत्येक की कुल संख्या का एक-तिहाई से अन्यून महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन आरक्षित पदों की संख्या विभिन्न पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवण्टित की जायेगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के अधीन या, यथास्थिति, धारा 15 के अधीन संगणित स्थानों या पदों की संख्या की भागरूप यदि कोई भिन्न हो तो, उस स्थिति में, जब वह भिन्न एक स्थान या पद के आधे या उससे अधिक से बनी हो, स्थानों या पदों की संख्या को ठीक उच्चतर संख्या तक बढ़ा दिया जायेगा और उस स्थिति में, जब वह एक स्थान या पद के आधे या उससे अधिक से बनी हो, स्थानों या पदों की संख्या को ठीक उच्चतर संख्या तक बढ़ा दिया जायेगा और उस स्थिति में, जब वह एक स्थान या पद के आधे से कम हो, भिन्न को छोड़ दिया जायेगा।

पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल और निर्वाचन– (1) प्रत्येक पंचायती राज संस्था, यदि पहले विघटित नहीं कर दी जाये तो, संबंधित संस्थाओं की प्रथम बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं।

(2) पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का, और उनके संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(3) किसी पंचायती राज संस्था का गठन करने के लिए निर्वाचन–

(क) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व; और

(ख) विघटन की स्थिति में, उसके विघटन की तारीख से छह मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व-पूरा किया जायेगा :

परन्तु जहां कालावधि का ऐसा शेष भाग, जिसके लिए विघटित पंचायती राज संस्था बनी रहती, छह मास से कम का है वहां ऐसी कालावधि के लिए पंचायती राज संस्था गठित करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा।

(4) ऐसी कोई पंचायती राज संस्था, जो उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन के फलस्वरूप गठित की गयी हो, कालावधि के केवल ऐसे शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए उपभाग (1) के अधीन वह तब बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की गयी होगी।

(5) राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी या उससे संसक्त सभी विषयों, जिनमें निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी विषय सम्मिलित हैं और ऐसी संस्थाओं के सम्यक् गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी विषयों के संबंध में समय-समय पर, नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी।

निर्वाचक, निर्वाचक नामावलियां और मताधिकार– (1) ऐसे वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में से जिनमें किसी पंचायती राज संस्था के क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन विभक्त किया गया है, प्रत्येक के लिए उसके मतदाताओं की एक सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन निहित रीति से तैयार की और रखी जायेगी।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो संबंधित पंचायती राज संस्था के क्षेत्र या उसके किसी वार्ड या निर्वाचक क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र से संबंधित राजस्थान विधान सभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्हित है या जिसका नाम ऐसी नामावली में दर्ज है, ऐसी पंचायती राज संस्था या उसके किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।

किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं– किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति :

(क) राजस्थान राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का है;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया है।

(घ) किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है;

(ङ) संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, नहीं रखता है;

(च) कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है;

(छ) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ज) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए तत्समय अपात्र नहीं है;

(झ) संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम को, उसके लिए मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो मास तक असंदत्त नहीं रखे हैं;

(ञ) संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है;

(ट) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ठ) दो से अधिक संतानों वाला नहीं है :

परन्तु

(i) किसी व्यक्ति को किसी भी निगमित कम्पनी या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में केवल अंशधारी या उसका सदस्य होने के कारण से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और पंचायती राज संस्था के बीच की गयी किसी भी संविदा में हितबद्ध नहीं ठहराया जायेगा;

(ii) खण्ड (ग), (छ) और (ट) के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी पदच्युति या, यथास्थिति, दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् या यदि वह इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्वाचन के लिए पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इससे पहले, निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेगा;

(iii) खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब निर्हित नहीं समझा जायेगा यदि वह उससे शोध्य कर या फीस की रकम अपना नाम निर्देशन दाखिल करने की तारीख के पूर्व संदत्त कर देता है;

(iv) खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए दो से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति को तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चों की उस संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को है।

स्पष्टीकरण– धारा 19 के खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या तत्पश्चात् जहां किसी दम्पती के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चातवर्ती प्रसव से पैदा हुए बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

किसी पंचायती राज संस्था की एक साथ या दोहरी सदस्यता पर निर्बन्धन– (1) कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ततः प्राधिकृत के सिवाय, दो या अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति एक पंचायती राज संस्था का सदस्य रहते हुए दूसरी

पंचायती राज संस्था की सदस्यता के लिए अभ्यर्थी के रूप में लड़ने का आशय रखता हो वहां वह उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी सदस्यता के लिए अभ्यर्थी व रूप में खड़ा हो सकेगा :

परन्तु यदि वह उस स्थान के लिए चुन लिया जाता है जिसके लिए वह अभ्यर्थी के रूप में लड़ा था तो उसके द्वारा पहले से धारित स्थान उस तारीख को रिक्त हो जायेगा, जिसको वह इस प्रकार चुना जाता है, जब तक कि इस प्रकार धारित स्थान दूसरी पंचायती राज संस्था में नहीं हो और उस पंचायती राज संस्था की अवधि उस तारीख से, जिसको वह इस प्रकार निर्वाचित किया जाता है, चार मास की कालावधि के भीतर-भीतर समाप्त नहीं होती हो।

(3) यदि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो या अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य चुन लिया जाता है तो वह व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से, जिसको वह इस प्रकार चुना जाता है, चौदह दिन के भीतर-भीतर, उन पंचायती राज संस्थाओं में से उस एक की सूचना, जिसमें वह सेवा करना चाहता है, सक्षम अधिकारी को देगा और तत्पश्चात्, जिस पंचायती राज संस्था में वह सेवा करना चाहता है, उससे भिन्न पंचायती राज संस्था में उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन दी गयी कोई भी सूचना अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगी।

(5) पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उप-धारा (3) में निर्दिष्ट सूचना के व्यतिक्रम में, सक्षम प्राधिकारी ऐसा स्थान अवधारित करेगा जिसे वह प्रतिधारित करेगा और तत्पश्चात् वे शेष स्थान, जिनसे वह निर्वाचित किया गया था, रिक्त हो जायेंगे।

किसी पंचायती राज संस्था में अध्यक्ष का पद और संसद या किसी राज्य विधान मंडल आदि की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बन्धन कोई भी व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष और संसद या किसी राज्य विधान मंडल या किसी नगरपालिका बोर्ड या किसी नगर परिषद् या किसी नगर निगम का सदस्य, दोनों नहीं रहेगा और यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो संसद या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य या किसी नगरपालिका बोर्ड या किसी नगर परिषद् या नगर निगम का सदस्य पहले से है, ऐसे अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो ऐसे अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर वह ऐसा अध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि वह संसद या राज्य विधान मंडल या नगरपालिका बोर्ड या नगर परिषद् या, यथास्थिति, नगर निगम में के अपने स्थान से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है :

प्रथम अनुसूची
(धारा 50 देखिये)
पंचायतों के काम और शक्तियां

1. **काम** : पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना; वार्षिक बजट तैयार करना; प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना; लोक सम्पत्तियों पर के अधिक्रमण हटाना; सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदाय का संगठन; गांव (गांवों) की आवश्यक सांख्यिकी रखना।

2. **प्रशासन के क्षेत्र में** : परिसरों का संख्यांकन; जनगणना करना; पंचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना; ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदायों और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना; ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पंचायत सर्किल में पहुंचे; सर्वेक्षण करना; पशु स्टैण्डों, खलिहानों, चरागाहों और सामुदायिक भूमियों पर नियंत्रण; ऐसे मेलों, तीर्थयात्राओं और उत्सवों की, जिनका प्रबंध राज्य सरकार या किसी पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है, स्थापना, रख-रखाव और विनियमन; बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना; ऐसी शिकायतों की समुचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, जो पंचायत द्वारा दूर नहीं की जा सकती हों, पंचायत अभिलेखों की तैयारी, संधारण और अनुरक्षण करना; जन्मों, मृत्युओं और विवाहों का ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण, जो सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकथित किया जाये; पंचायत सर्किल के भीतर के गांव के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना।

3. **कृषि विस्तार सहित कृषि** : कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास; बंजर भूमियों का विकास; चरागाहों का विकास और रख-रखाव और उनके अप्राधिकृत अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना।

4. **पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पालन** : पशुओं, कुक्कुटों और अन्य पशुधन की नस्ल का विकास; डेरी उद्योग, कुक्कुट-पालन और सूअर-पालन की प्रोन्नति; चरागाह विकास।

5. **मत्स्य-पालन** : गांव (गांवों) में मत्स्य पालन का विकास।

6. सामाजिक और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, ईंधन और चारा : गांव और जिला सड़कों के पार्श्वों पर और उसके नियंत्रण के अधीन की अन्य लोक भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण; ईंधन रोपण और चारा विकास; फार्म वानिकी की प्रोन्नति; सामाजिक वानिकी और कृषिक पौधशालाओं का विकास।

7. लघु सिंचाई : 50 एकड़ तक सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियंत्रण और रख-रखाव।

8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग : ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना; ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए चेतना शिविरों, सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन।

9. ग्रामीण आवासन : अपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलों का आवंटन; आवासों, स्थलों और अन्य प्राइवेट तथा लोक सम्पत्तियों से संबंधित अभिलेख रखना।

10. पेयजल : पेयजल कुओं, जलाशयों और तालाबों का संनिर्माण, मरम्मत और रख-रखाव, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, हैंड पंपों का रख-रखाव और पंप और जलाशय स्कीमें।

11. सड़कें, भवन, पुलियाएं, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन : ग्राम सड़कों, नालियों और पुलियाओं का संनिर्माण और रख-रखाव; अपने नियंत्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसे अन्तरित भवनों का रख-रखाव; नावों, नौघाटों और जल मार्गों का रख-रखाव।

12. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें लोक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रख-रखाव सम्मिलित है।

13. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत : गैर-परम्परागत ऊर्जा स्कीमों की प्रोन्नति और रख-रखाव; सामुदायिक गैर-परम्परागत ऊर्जा युक्तियों का, जिसमें गोबर गैस संयंत्र सम्मिलित है, रख-रखाव; विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार।

14. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम : अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी जन चेतना को और उसमें भागीदारी को प्रोन्नत करना; ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन; पूर्वोक्त के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में भाग लेना।

15. शिक्षा (प्राथमिक) : समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक चेतना प्रोन्नत करना और ग्राम शिक्षा समितियों में भाग लेना; प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबंध में लड़कों का और विशेष रूप से लड़कियों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना।

16. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा : प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्नत करना और उसका अनुवीक्षण।

17. पुस्तकालय : ग्राम पुस्तकालय और वाचनालय।

18. सांस्कृतिक क्रियाकलाप : सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोन्नत करना।

19. बाजार और मेले : मेलों (पशु मेलों सहित) और उत्सवों का विनियमन।

20. ग्रामीण स्वच्छता : सामान्य स्वच्छता रखना; लोक सड़कों, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक स्थानों की सफाई; श्मशान और कब्रस्तान भूमियों का रख-रखाव और विनियमन; ग्रामीण शौचालयों, सुविधा पार्कों और स्नान स्थलों और सोकपिटों इत्यादि का सन्निर्माण और रख-रखाव। अदावाकृत शवों और जीव-जन्तु शवों का निपटारा; धोने और स्नान के घाटों का प्रबंध और नियन्त्रण।

21. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण : परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन; महामारी की रोक और उपचार के उपाय; मांस, मछली और अन्य विनश्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमन; मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना; खाने और मनोरंजन के स्थापनों का अनुज्ञापन; आवारा कुत्तों का नाशन; खालों और चमड़ों के संस्करण, चर्मशोधन और रंगाई का विनियमन; आपराधिक और हानिकारक व्यापारों का विनियमन।

22. महिला और बाल विकास : महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना; विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना; आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण।

23. विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण : विकलांगों, मंदबुद्धि वालों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना; वृद्ध और विधवा पेंशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना।

24. कमजोर वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के संबंध में जन जागृति को प्रोन्नत करना; कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना।

25. लोक वितरण व्यवस्था : आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में जन जागृति को प्रोन्नत करना; लोक वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षण।

26. सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव : सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव; अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख-रखाव।

27. धर्मशालाओं और ऐसी ही संस्थाओं का सन्निर्माण और रख-रखाव।

28. पशुशेडों, पोखरों और गाड़ी स्टैंडों का सन्निर्माण और रख-रखाव।

29. बूचड़खानों का सन्निर्माण और रख-रखाव।

30. लोक उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का रख-रखाव।

31. लोक स्थानों में खाद के गड्ढों का विनियमन।

32. शराब की दुकानों का विनियमन।

33. पंचायतों की सामान्य शक्तियां :

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे, समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना और, विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

★ ★ ★

तरुण भारत संघ

भीकमपुरा–किशोरी

वाया थानागाजी, 301022

जिला अलवर (राजस्थान)